

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामावतार मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 36/17

निर्णय दिनांक: 10/8/17

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मेघाराम जाति मेधवाल निवासी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. मु: गंवरा देवी पत्नि जगदीश प्रसाद जाति मेधवाल निवासी देसलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांटस

—बनाम—

स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 21-02-2004
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थिति:—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 21-02-2004 जिसके द्वारा अपीलांट को बीएसएफ सांचू पोस्ट की भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 24 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 48/12 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 21-02-2004 को सलाहकार समिति की राय से आवंटन की गई। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पर पूर्व में ही सांचू पोस्ट बनी हुई है तथा उपरोक्त भूमि पर भारतीय सेना का कब्जा है। आराजी जैर किसी भी प्रकार से काबिल काश्त नहीं है। अतः अपीलांट को उक्त भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश हैं कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही

1/11
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 के विरुद्ध अपील दिनांक 22-05-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोंन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 22-05-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर तहसील कोलायत के चक 24 बीएसएम के मुरब्बा नम्बर 48/12 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24 बीघा 2 बिस्वा भूमि दिनांक 21-02-2004 रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार आराजी जैर पर बीएसएफ सांचू पोस्ट का कब्जा है। जहाँ डोरमैट्री, मैस, किचन, धर्मस्थल, ऑफिस आदि के भवन बने हुए हैं। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल मिल सकती। इसलिए अपीलांट का आवंटन उचित भूमि का नहीं किया जाना साबित है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

1/10
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-02-2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाट को नियमानुसार उसकी पात्रता की पुनः जाँच करते हुए उसी किस्म की भूमि अन्यत्र आवंटन की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.8.17 को सरे इजलास सुनाया गया।



lmmak
(रामावतार मीना)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर